मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 462 004

क्रमांक एफ-11-1-/98/1-15/कक, भोपाल, दिनांक 10 जून 2005.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण एवं म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति बाबत् दिशा-निर्देश.

संदर्भ.—विभाग का पत्र क्र. एफ 11-1/98/1-15/कक/, दिनांक 17-4-98, समसंख्यक ज्ञाप दि. 25-5-98 एवं 16-6-04.

राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है. इस दिशा में प्रदेश के शासकीय सेवकों के कल्याण एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु शासन को सुझाव देने के लिये संदर्भित पत्र दिनांक 17-4-98 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति का गठन किया गया है. संदर्भित पत्र दिनांक 25-5-98 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति को शासकीय कर्मचारियों के हितार्थ कार्य सौंपे गये हैं. इसकी प्रतिलिपि संलग्न है.

2. श्री अरविन्द श्रीवास्तव (राज्यमंत्री दर्जा) को मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति का अध्यक्ष विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 16-6-04 द्वारा 03 वर्ष के लिये मनोनीत किया गया है.

3. मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में प्राप्त आवेदन संबंधित विभाग, विभागाध्यक्ष तथा जिलाध्यक्षों को निराकरण हेतु भेजे जाते हैं. शासन की अपेक्षा है कि इन आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही की जाना चाहिये एवं की गई कार्यवाही से समिति को भी यथा समय अवगत कराया जाये. माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली टेलीक्रांफ्रेंसिंग वार्ताओं में भी इस विषय की जानकारी प्राप्त की जावेगी.

4. राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष, कर्मचारी कल्याण समिति को निर्देशित किया गया है कि वे राज्य में भ्रमण करें तथा कर्मचारी संगठनों, प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों से सतत संपर्क एवं संवाद बनाये रखें. कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में यह लाभकारी प्रयास होगा.

5. समस्त जिला कलेक्टर्स से यह अपेक्षा है कि अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा जिले के भ्रमण के समय उन्हें हर संभव सहयोग करेंगे एवं अध्यक्ष, कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा ली जाने वाली बैठकों की व्यवस्था करेंगे. उचित होगा कि इस हेतु जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति शीघ्र की जावे, जो कर्मचारी प्रतिनिधि, संगठनों एवं इस राज्य स्तरीय समिति के बीच समन्वय का कार्य कर सके. ऐसे नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, टेलीफोन नम्बर आदि की सूचना समिति को भी उपलब्ध कराई जावे.

6. शासन चाहता है कि समिति के अध्यक्ष के जिलों के भ्रमण के दौरान जिला कलेक्टर उन्हें वाहन उपलब्ध करायें एवं अन्य सहयोग भी प्रदान करें.

हस्ता./-
(राजेन्द्र शर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ. 11-1/98/1-15/कक भोपाल, दिनांक 10 जून 2005.

प्रतिलिपि :

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय, भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 3561/सीएमएस/एसएसयू/05, दिनांक 7-6-05 के संदर्भ में सूचनार्थ.
2. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति की ओर सूचनार्थ एवं अग्रेषित.

हस्ता./-
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.